गोरधन / सतीश कुमार

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
26.7.21	पत्रावली पेश हुई। सरिश्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील के साथ संलग्न मियाद अधिनियम की दफा-5 के प्रार्थना-पत्र पर अपीलांट अभिभाषक को सुना गया। अपील subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ कैवियट प्रार्थना-पत्र संलग्न है। अतः कैवियट कर्ता अभिभाषक को नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 29.07.2021 को पेश हो।	
29.7.21	अधिवक्तागण ने बार एसोसिएशन के निर्णय के तहत कार्य स्थगित किया हुआ है। अतः पत्रावली हेतु वास्ते स्टे बहस दिनांक 3.8.21 को पेश हो। कैवियटर अभि. उपस्थित आये। नकल अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र दिलाई गई।	नकल प्राप्त की उपाध्याय 29-7-2021
3.8.21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। स्थगन बहस को समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस स्थगन दिनांक 5.8.21 को पेश हो।	
5.8.21	पत्रावली पेश हुई अभि. उभयपक्ष उपस्थित। स्थगन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गयी पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन दिनांक 10.8.21 को पेश हो।	
.8.21	पत्रावली स्थगन प्रा. पत्र पर आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। वकील अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हमको नहीं थी। उक्त निर्णय हमारी पीठ पीछे से पारित किया गया है। इसलिये अपील पेश करने में देरी हुई है। अतः अपील अन्डर	

— लगातार —

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	मियाद शुमार की जावे। उन्होंने आगे तर्क दिये कि हम विवादित भूमि के रेकॉर्डेड खातेदार हैं। कानून रेकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ अंतरिम स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता, परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया और हमको गलत तौर पर अंतरिम स्थगन से पाबन्द कर दिया। अतः निवेदन है कि स्थगन प्रा. पत्र स्वीकार किया जावे।
	जवाब में वकील कैवियटर का कथन है कि यह अपील मियाद बाहर है। मियाद बिन्दु पर ही अपील खारिज की जावे। उन्होंने आगे तर्क दिये कि विवादित भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने वादी की दादालाई की भूमि, जो ग्राम अटेली हरियाणा में स्थित थी, का बेचान कर खरीदी थी। परन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 ता. 5 ने साजबाज होकर वादी के नाम नहीं कराई। प्रतिवादी वादी को उसके हकों से वंचित रखना चाहते हैं। इसलिये हमने दावा पेश किया। दौराने विचारण वाद प्रतिवादी अपने ने भूमि खुर्दबुर्द कर दी तो हमारे वाद पत्र की मन्शा ही समाप्त हो जायेगी। इसलिये सही तौर पर तहत अदालत ने यथास्थिति का अन्तरिम स्थगन जारी किया है। अतः निवेदन है कि स्थगन प्रा. पत्र खारिज किया जावे।
	हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया। माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी अनेक नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दु पर नरम रुख

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	अपनाना चाहिये। अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में नरम रुख अपनाया जाकर देरी को माफ किया जाता है।
	माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी अनेकों नजीरों में प्रतिपादित किया है कि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि को नुकसान ना पहुंचे, उसका दुर्विनयन ना हो, पक्षकारों के बीच अनावश्यक विवाद ना बढ़े आदि, इन सभी संभावनाओं से बचने हेतु यथास्थिति के आदेश दिये जाना चाहिये। प्रस्तुत प्रकरण में तहत अदालत ने यथास्थिति बनाये रखने हेतु अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया है, जिसमे हम माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते है। लिहाजा अपीलांट का स्थगन प्रा० पत्र खारिज किया जाता है।
	चूंकि तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश जारी कर प्रतिवादी अपीलांट को अपनी आपत्ति पेश करने हेतु नोटिस जारी किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को चाहिये कि तहत अदालत में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्तरिम स्टेज पर अपीलांट को अपील में किसी प्रकार की रिलीफ देय नहीं है।
	अतः आदेश है कि अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। तहत अदालत को आदेशित किया जाता है कि वो उनके वहाँ लम्बित प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T. एक्ट में उभयपक्ष को सुनकर उक्त प्रा० पत्र का निस्तारण CPC के आदेश
	— लगातार —

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	31 नियम 3 क में दी गई समयावधि 01 माह में करें। उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत मे नियत दिनांक को उपस्थित हो।
	निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर